फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 25.07.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चोरी के दो अभियोगों में प्रकाश में आए दो अभियुक्तों को चोरी किए गए सामान सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत 1. मु0अ0स0 0274/2026 धारा 305/331(4) BNS, 2. मु0अ0स0 0271/2026 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित दो अभियुक्तगणों को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चोरी का माल 01 वाशिंग मशीन LG कंपनी व 01 विण्डो AC तथा 01 स्टेबलाइजर व 1165 रुपये बरामद/गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 23.07.2026 को थाना मऊदरवाजा पर वादी श्री हरिनाथ सिंह पुत्र रामचन्द्र सिहं ग्राम रसीदपुर पोस्ट बरौन थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा सिटिजन सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से की गयी E-FIR नं0 271/2026 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात प्राप्त हुयी जिसमें वादी ने तहरीर किया था कि दिनांक 02/06/2026 को अज्ञात चोरो द्वारा ग्राम बरौन में उसकी फर्रुखाबाद कायमगंज मार्ग पर बनी दुकान से रात में करीब 11 बजे मैन गेट का ताला तोड़कर दुकान में रखे इवेर्टर (3.5kw) व दो बैटरी (150Ahw) व सी सी टी वी कैमरा की हार्ड डिस्क, डी वी आर चुरा ले गये तथा दिनांक 24.07.2026 को थाना मऊदरवाजा पर वादिनी कु0 सुजाता भारद्वाज पुत्री स्व0 सुन्दरलाल नि0 मोहल्ला चीनीग्राम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिये गये प्रा0पत्र कि दिनांक 15.07.2026 को बीबीगंज स्थित उसके बंद पड़े मकान से अज्ञात चोरो द्वारा एक ए.सी. व एक वाशिंग मशीन, ईन्वर्टर बैटरी सहित, एल0ई0डी0 टी.वी, गैस सिलेण्डर, गैस चूल्हा एवं किचिन का सामान आदि चोरी कर लिया गया के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0स0 0274/2026 धारा 305/331(4) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मुखबिर खास की सूचना पर थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र कामता निवासी कांशीराम कालोनी टाउनहाल थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 2. निकत उर्फ निखहत पुत्र स्व0 गुड्डू निवासी मोहल्ला रकाबगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को उपरोक्त मुकदमों से सम्बन्धित चोरी किये गये 01 वाशिंग मशीन LG कंपनी व 01 विण्डो AC तथा 01 स्टेबलाइजर व 1165 रुपये बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। बरामदगी के आधार पर दोनो अभियोगो में धारा 317(2) BNS की वृद्धि गयी तथा प्रकरण में अभियुक्तगण के बयान के आधार पर दो अन्य चोरो के नाम प्रकाश में आये हैं जिनकी तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

1. अमन पुत्र कामता निवासी कांशीराम कालोनी टाउनहाल थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
2. निकत उर्फ निखहत पुत्र स्व0 गुड्डू निवासी मोहल्ला रकाबगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण अमन व निकत उर्फ निखहत उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए अपने अपने बयान जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त अमन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 476/2026 धारा 13 G.Act थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 0271/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 0274/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त निकत उर्फ निखहत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0271/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 0274/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

01 वाशिंग मशीन LG कंपनी

01 विण्डो AC

01 स्टेबलाइजर

1165/- रुपये

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री अजब सिंह
2. व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह
3. का0 सौरभ
4. का0 विनीत
5. का0 करतार सिंह
6. का0 डिम्पल
7. का0 अरविन्द
8. का0 कृष्णगोपाल
9. का0 पवन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 25.07.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 171/2026 धारा 137(2) बीएनएस में प्रकाश में आए अभियुक्त अहसान उर्फ आसान पुत्र आजाद निवासी ग्राम बुनियादपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 28.06.2026 को वादी द्वारा दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 171/2026 धारा 137(2) बी0एन0एस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अपहर्ता की बरामदगी कर बयान अपहर्ता अवलोकन अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस व आदि साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87, 64(2)(एम) बी.एन.एस. व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा 02 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आए अभियुक्त अहसान उर्फ आसान पुत्र आजाद निवासी ग्राम बुनियादपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण वाछित अभियुक्तः- अभियुक्त अहसान उर्फ आसान उपरोक्त ने पूछने पर जुर्म से इन्कार करते हुये अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त अहसान उर्फ आसान उपरोक्त का इतिहास –

1. मु0अ0सं0 171/2026 धारा 137(2)/ 87, 64(2)(एम) बी.एन.एस. व 5/6 पाक्सो एक्ट बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार

2- का0 विकास कुमार

3- का0 तुलसीदास

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक - 25.07.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा स्वंय की पुत्री की हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2026 धारा 103(1) बीएनएस मे प्रकाश मे आये अभियुक्त बबलू उर्फ डब्लू पुत्र छक्कू निवासी ग्राम गुगौरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. बबलू उर्फ डब्लू पुत्र छक्कू निवासी ग्राम गुगौरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 23.07.2026 को वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर ईट पत्थर चलाना जिससे वादिनी की पुत्री को पत्थर लग जाने से मृत्यु हो जाना व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 226/2026 धारा 105/125/351(2) बीएनएस बनाम 1. बबलू पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम गुगौरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ आदि 04 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में नामजद अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गई तथा अभियुक्त बबलू उर्फ डब्लू पुत्र छक्कू निवासी ग्राम गुगौरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 105/125/351(2) बीएनएस का लोप तथा धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। प्रकाश में आये अभियुक्त बबलू उर्फ डब्लू को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त बबलू उर्फ डब्लू ने पूछताछ करने पर बताया कि मै मजदूरी का काम करता हूँ। मेरी पुत्री जो बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी उसको सूखा रोग की बीमार हो गयी थी मैने अपनी पुत्री का काफी इलाज लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद से कराया था लेकिन वह ठीक नही हो रही थी तथा मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया। मै तथा मेरा परिवार मेरी पुत्री की बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गये थे। मै जितना भी कमाता था वह सब इलाज मे लग जाता था जिससे मेरे घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गयी। अपनी पुत्री से परेशान होकर मैने ही अपने हाथो से उसका गला दबा कर हत्या कर दी थी। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए।

अभियुक्त बबलू उर्फ डब्लू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 226/2026 धारा 103(1)बी.एन.एस. थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 218/2026 धारा 115(2)/351(2)/352 बी.एन.एस. थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम सहाय सिंह
2. उ0नि0 श्री अखिलेश यादव
3. का0 रविन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़।

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना शमसाबाद

#MissionShakti

1090

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना मऊदरवाजा

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना जहानगंज

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना-अमृतपुर

#MissionShakti